| हुक्म | |
|---|---|
| 4/8/16 | पत्रावली पेश, वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी अधि० ने o23 R1 का हवाला देते हुए, अपना वाद वापस लेने के लिए (बिनाशर्त) बहस की। प्रति अधि० ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा दावा खारिज करने का विरोध किया। उभय पक्षीय बहस को सुनने बहस पर मनन करने व पत्रावली के अवलोकन से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि वादी को वाद खारिज करने अनुमति इस शर्त पर ही जाती है कि वादी पुनः उक्त आराजी पर इस वाद में वर्णित धाराओ के तहत पुनः वाद नहीं पेश कर सकेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली पैरवी खुकार होकर शामिल फाइल हो। |